यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ के माह 04.2012 से 10.2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 07.11.2017 से 10.11.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2). **(i).** इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ के भौगो लक अ धकार क्षेत्र के अंतर्गत मुनस्यारी वकासखण्ड आता है। च कत्सालय में आये रो गयों को समु चत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करवाना कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ के क्रयाकलाप के अंतर्गत आता है।

ii). (अ). वगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वत्तीय वर्ष	आयोजनागत **(Plan)**		आयोजनेत्तर **(Non-plan)**		कुल आवंटन	कुल व्यय	आ धक्य (+)	बचत (-)
	आवंटित धनरा श	व्यय धनरा श	आवंटित धनरा श	व्यय धनरा श				
2012-13	**82.38**	**82.38**	**143.14**	**120.83**	**225.52**	**203.21**	**---**	**22.31**
2013-14	**113.00**	**91.63**	**196.55**	**158.98**	**309.55**	**250.61**	**---**	**58.94**
2014-15	**103.67**	**101.52**	**159.06**	**153.50**	**262.73**	**255.02**	**---**	**7.71**
2015-16	**114.97**	**107.70**	**190.12**	**154.24**	**305.09**	**261.94**	**---**	**43.15**
2016-17	**142.56**	**119.24**	**200.08**	**168.06**	**342.64**	**287.30**	**---**	**55.34**
2017-18 (till the month 10.2017)	**-**	**-**	**264.36**	**187.02**	**264.36**	**187.02**	**---**	**77.34**

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, जिला योजना एवं केन्द्रीय योजनाओं द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a).प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

b).महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

c).निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल

d). मुख्य च कत्सा अ धकारी

e). अतिरिक्त मुख्य च कत्सा अ धकारी

f). प्रभारी च कत्सा अ धकारी

g). च कत्सा अधीक्षक

h). वरिष्ठ च कत्सा अ धकारी

i). च कत्सा अ धकारी

j). मुख्य प्रशासनिक अ धकारी

k). वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी

l). प्रशासनिक अ धकारी

m). प्रधान सहायक

n). वरिष्ठ सहायक

o). कनिष्ठ सहायक

p). चतुर्थ श्रेणी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा 04.2012 से 10.2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुंस्यारी, पथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04.2012; 08.2017 एवं 09.2013 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-1:- रु **1.46** करोड़ के व्यय नेट धनरा श की प्र वष्टि रोकड़-बही में न कया जाना।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं सं वतरण अ धकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनरा श सम्बं धत के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के ववरण का प्रंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बं धत अ भलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्र वष्टि यथा स्थान पर करेंगे I इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बं धत माह में कये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से व र्णत है क ''''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ की रोकड़बही की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क वस्तृत जाँच हेतु चयनित माहों अगस्त 2017, सतम्बर 2016 एवं नवम्बर 2015 में BM- 05 में द र्शत कुल व्यय रू 145,59,444/- की नेट धनरा श (Net Amount) को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था। ववरण निम्नवत है :-

BM- 5 का माह	वाउचर **&** दिनांक	रोकड़-बही में प्र वष्टि की गई धनरा श **(रु)**	रोकड़-बही में प्र वष्टि न की गई धनरा श **(रु)**	माह की कुल व्यय नेट धनरा श **(रु)**
08.2017	B22100004, 08.08.2017	1298/-	6121604/-	6137398/-
	B22100005, 08.08.2017	1315/-		
	B22100006, 08.08.2017	1750/-		
	B22100020, 21.08.2017	11431/-		
09.2016	A22100064, 15.09.2016	48000/-	47,35437/-	4783437/-
11.2015	---	0	3702403/-	3702403/-
			योग= **145,59,444/-**	

साथ ही, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बं धत माहों में कये गये लेनदेनों के सत्यापन करके संबन्धित प्रमाण-पत्र कोषागार में प्रे षत भी नहीं कए गये थे। माह 11.2015 का रोकड़-बही अद्यतन ही नहीं गया था।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रभारी च कत्सा अ धकारी ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क "भ वष्य में अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन कया गया था।

अतः रु 1.46 करोड़ के व्यय नेट धनरा श की प्र वष्टि रोकड़-बही में न जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-2 :- जननी सुरक्षा योजना के क्रयान्वयन में रु 17.74 लाख का अनियमत भुगतान कया जाना ।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार प्रसव की संभावत तिथ से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उक्त कार्ड प्रसव की संभावत तिथ से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधकृत चकत्साधकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत कया जाना चाहिए ताक लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डस्चार्ज करते समय उसको चैक प्रदान कया जा सके एवं लाभार्थी को चकत्सालय से डस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनराश का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात कया गया भुगतान अवैध माना जाएगा।

As per the JSY guideline, cash incentive would be paid to ASHA in two instalment. 50 % of the incentive would be given as First instalment after discharge of the JSY beneficiary from the health centre provided ASHA or an equivalent worker having accompanied, stayed with the pregnant woman in the health centre for delivery; and the remaining 50% of the cash incentive would be given one month after delivery when BCG vaccine has been administered to the child and she has helped in post-natal care and registration of birth of the newborn.

कार्यालय प्रभारी चकत्सा अधकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अवध माह अप्रैल 2012 से अक्तूबर 2017 तक *जननी सुरक्षा योजना* के अंतर्गत कुल 953 लाभार्थयों एवं 791 आशाओं को क्रमशः रुपये 13,30,100/- लाख एवं रुपये 4,44,350/- लाख का भुगतान कया गया। अभलेखों की संवीक्षा में पाया गया क जननी सुरक्षा योजना का अप्रैल 2005 से क्रयान्वित होने के बावजूद भी शत-प्रतिशत प्रकरणों में बिना ID संलग्न, जेएसवाई कार्ड, प्रसव के दिन भरे गये थे। समस्त प्रकरणों में भुगतान हेतु बनाई गई "जेएसवाई रजिस्टर" मे लाभार्थयों को चेक प्रदान कए जाने की तिथ दर्शाये जाने का कोई स्तम्भ (column) नहीं बनाया गया था। इस प्रकार प्रवष्टियां न होने के कारण यह ज्ञात नहीं कया जा सका क लाभार्थयों को कन- कन तिथयों मे एवं कतनी देरी से चेक हस्तगत कया गया था। दिशा-निर्देश के अनुसार आशाओं को दो कस्तों मे भुगतान कया जाना चाहिए था, परन्तु आशाओं को एक ही कस्त में भुगतान कया गया था। दिनांक 31.10.2017 की तिथ में कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी Reconciliation ववरण में दिनांक 20.10.2010 से 30.08.2017 तक लाभार्थयों को धनराश रु 1,18,200/- के, चेक जारी कए गए थे, जिनकी वैधता अवध 03 माह से अधक व्यतीत हो जाने के कारण समाप्त हो चुकी थी। अतएव कुल धनराश रु 1,18,200/- से लाभार्थी वंचत रह गए। लेखापरीक्षा माह 10.2017 तक उक्त धनराश रु 1,18,200/- को कार्यालय द्वारा अपने रोकड़-बही के Receipt Side में भी नहीं लया गया था । इस प्रकार दिशा-निर्देशों का

उल्लंघन करते हुए योजना के अंतर्गत रुपया 17,74,450/- (=4,44,350/- + 13,30,100/-) लाख की धनरा श का अनिय मत व्यय कया गया ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रभारी च कत्सा अ धकारी ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क भ वष्य में अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा । इकाई द्वारा आप त्त की स्वीकृति ही से स्पष्ट है क राज्य में योजना के कार्यान्वयन के 12 वर्ष (अप्रैल 2005) बीत जाने के बाद भी जेएसवाई की दिशा-निर्देशों के प्रति जागरुक नहीं होना एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनिय मत रूप से लाभा र्थओं को भुगतान कया गया।

अत: जननी सुरक्षा योजना के क्रयान्वयन में रु 17.74 लाख के अनिय मत भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

<u>प्रस्तर- 1</u>:- धनरा श रु **7.21** लाख के निष्प्रयोज्य साम ग्रयों की नीलामी न कया जाना।

सामान्य वत्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ता क उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके I

कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ की डेड-स्टाक अ भलेखों एवं वाहनो से संबन्धित लेखा-अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क कुल पुस्तकीय धनरा श रु 7,20,813/- के निम्न ल खत ववरण के वाहन एवं अन्य साम ग्रयाँ 06 से 17 वर्ष से अनुपयोगी पड़े हुये थे I उक्त साम ग्रयाँ मरम्मत योग्य नहीं हैं । उक्त धनरा श के ववरण की साम ग्रयों हेतु निष्प्रयोज्य घो षत कर नीलामी करने की प्र क्रया माह 10.2017 तक न तो सम्पन्न नहीं की गई थी एवं न ही इस सम्बन्ध में कार्यालय स्तर से कोई प्रयास ही कया गया था। ववरण निम्नवत है :-

सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	पुस्तकीय दर (रू0में0)	कुल पुस्तकीय मूल्य (रू0में)	सामग्री के प्राप्ति का वर्ष	अकार्यषील /निश्प्रयोज्य होने का वर्ष	अकार्यषील/ निश्प्रयोज्य होने का कारण
कम्बल	10	455	4550	3.09.2004	2011	खराब
गद्दे	4	450	1800	17.3.1999	2011	खराब
Bench Wooden	2	1330	2660	17.03.1999	2011	खराब
E.I Urinal Male	8	109	872	17.03.1999	2011	खराब
E.I Nrinal Female	8	163	1304	17.03.1999	2011	खराब
Pouch Cain	4	74	296	13.03.199	2011	खराब
E.I Tray	2	94	188	17.03.1999	2011	खराब
Stature	1	292	292	17.03.1999	2011	खराब
Wooden Chair	2	966	1932	03.03.1999	2011	खराब
Dressing Drum	4	375	1500	28.06.1995	2011	खराब
I Ron Hospital Bed	7	1047	7329	29.09.2004	2011	खराब
Sweeper Apren	5	120	600	11.06.2008	2011	खराब
Ward Boy Apren	8	120	960	11.06.2008	2011	खराब
E.I Muq	15	134	2010	31.10.2000	2011	खराब
Suction Apprath	1	7912	7912	31.10.2000	2011	खराब
Stument Sterliser	2	536	1072	31.10.2000	2011	खराब
B,P Aprets	10	990	9900	05.06.2008	2011	खराब
Oxigen	1	3475	3475	5.06.2008	2011	खराब
Bed Sheet	20	145	2900	28.09.2004	08.05.2011	खराब
Pilow Cover	20	35	7000	28.06.1999	08.05.2011	खराब
Stument Sterliser	2	500	1000	15.06.1999	08.05.2011	खराब
Stument Sterliser	1	536	536	11.06.2008	08.05.2011	खराब
Hot water Bottle	5	145	725	11.06.2008	2000	खराब
वाहन का नाम	पंजीकरण संख्या	क्रय ति थ	क्रय मूल्य (approx.) (रु में)	वर्तमान स्थिति	वर्तमान री डंग (Approx. in Km)	---
एम्बुलेंस	UA-05-0969	1999 से पूर्व का, (CMO	260000	खराब	1 लाख Km से अ धक	अनुपयोगी, मरम्मत योग्य नहीं है ।

		कार्यालय से प्राप्त)				
जिप्सी	UP-03-2971	1995 से पूर्व का, (CMO कार्यालय से प्राप्त	200000	खराब	1 लाख Km से अ धक	अनुपयोगी, मरम्मत योग्य नहीं है ।
वेन (एम्बुलेंस)	UP-32Z-4347	1995 से पूर्व का, (CMO कार्यालय से प्राप्त	200000	खराब	1 लाख Km से अ धक	अनुपयोगी, मरम्मत योग्य नहीं है ।
		Total =	**7,20,813/-**			

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रभारी च कत्सा अ धकारी ने लेखापरीक्षा आप त को स्वीकार करते हुए कहा क "भौतिक सत्यापन नहीं कया गया, उक्त सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा" । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर, उक्त साम ग्रयों को और ज्यादा मूल्य ह्रास होने एवं वभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था I

अत: धनरा श रु 7.21 लाख के निष्प्रयोज्य साम ग्रयों की नीलामी न कये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर- 2:- शासनादेश का उलंघन करते हुये यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त नकद धनरा श रु **0.54** लाख का जमा कराये जाने में कार्यालय की उदासीनता।

वत्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के नियम– 21 अनुसार स्पष्ट व र्णत है क "All moneys received by or tendered to government servants in their official capacity shall, without undue delay be paid in full into the treasury or into the bank and shall be included in the government account. Moneys received as aforesaid shall not be appropriated to meet departmental expenditure, nor otherwise kept apart from the government account एवं नियम– 22 अनुसार स्पष्ट व र्णत है क "The money received on behalf of the Central or other State Government shall be deposited into the Treasury or Bank". आगे, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 236/ च.- 2- 2003- 42/ 2003 देहरादून दिनांक- 24.03.2003 (च कत्सा अनुभाग- 2) के अनुसार च कत्सालयों को यूजर चार्जेज के रूप मे मलने वाली समस्त धनरा श च कत्सा प्रबन्धन स मति को दी जाएगी । यूजर चार्जेज के रूप में मलने वाली धनरा श में से 50 प्रतिशत धनरा श राजकोष में जमा की जाती है ।

कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया क अव ध माह सतम्बर 2017 से अक्तूबर 2017 में USER CHARGES के रूप कुल धनरा श रु 53,630/- नकद प्राप्त हुआ था। 1 से 2 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद, दिनांक 07.11.2017 तक, नियमानुसार 50-50 प्रतिशत कोषागार एवं च कत्सा प्रबंधन स मति खाते में जमा नहीं कया था। कोषागार एवं च कत्सा प्रबंधन स मति खाते में जमा नहीं कए जाने से राजस्व प्राप्ति में देरी के साथ- साथ उक्त धनरा श का कार्यालयीन कार्यों में व्यय हो जाने की संभावना से इनकार भी नहीं कया जा सकता था । उक्त धनरा शयों को जमा नहीं कराये जाने में कार्यालय की उदासीनता पायी गई

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रभारी च कत्सा अ धकारी ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क "प्रश्नगत धनरा श को शीघ्र कोषागार में जमा कर लेखापरीक्षा को सू चत कया जाएगा" । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त धनरा शयों का शासनादेश एवं नियमों का उलंघन करते हुये निय मत ढंग से क्रयान्वयन में कार्यालय की उदासीनता पायी गई।

अतः शासनादेश का उलंघन करते हुये यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त नकद धनरा श रु 0.54 लाख का जमा कराये जाने में कार्यालय की उदासीनता का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
प्रथम लेखापरीक्षा				

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेख: शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ0 एच. के. मर्तो लया	प्रभारी च कत्सा अ धकारी	अप्रैल 2012 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुनस्यारी, पथौरागढ़ को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे